

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16012021-224507
SG-DL-E-16012021-224507

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 14]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942	[N. C. T. D. No. 273

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

एफ. 40(9)/एफ० ए० एस०/ डब्ल्यू० सी० डी०/ए/एन/2017-18/17030-59.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों और अनाथ कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना में निम्न संशोधन करती है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -
 - i. इन नियमों को गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों और अनाथ कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना (संशोधन) नियमावली 2020 कहा जायेगा।
 - ii. यह नियमावली दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. नियम 5 (ख) में संशोधन - नियम 5 (ख) में :-
निम्न को प्रतिस्थापित किया जाता है ...

शब्दों और आंकड़ों "सभी स्रोतों से परिवार की आय 60,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए", को "योजना का लाभ उठाने के लिए सभी स्रोतों से आवेदक की आय 60,000/- रुपये से 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए" को प्रतिस्थापित किया जाता है।

नोट:-

मुख्य नियम, दिल्ली राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्या- एफ.नं0-१(४)/एफएस / डब्ल्यू.डी.एम्/डी.एस. डब्ल्यू/05-06/25008-18 दिनांक 21.09.2006 के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं एवं तत्पश्चात किये गये सशोधन निम्न प्रकार है:-

1. एफ.नं0-41(8)/ एफएस/डीएसडब्ल्यू/एनहांसमेंट /07-08/324-334, दिनांक 6 मई, 2008।
2. एफ.नं0.1(4)/एफएस /डब्ल्यू डी. एम्/ 2005-06/28175-185, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009।
3. एफ.नं0.1(4)/एफएस /डब्ल्यू डी. एम् / डब्ल्यू. सी. डी /2005-06/7951-961, दिनांक 30 जून, 2011।
4. एफ.नं0.1(4)/एफएस/डब्ल्यू डी. एम्/डब्ल्यू. सी. डी /2005-06/26278-287, दिनांक 4 दिसंबर, 2012।

डॉ. रश्मि सिंह, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th January, 2021

F. 40(9)/FAS/WCD/A/N/2017-18/ 17030-59.—The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the rule in respect of the scheme of Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Rules, 2006 namely:-

1. Short title, Extent and Commencement :
 - i) These rules may be called the Financial Assistance for the marriage of daughters of poor widows and orphan girls (Amendment) Rules 2020.
 - ii) These rules shall be deemed to have come into force from the date of publication of the notification in the official gazette extraordinary.
2. Amendment in Rule 5 (b)- In the said Rule 5 (b) :-

- The following shall be substituted...

"for the words and figures "the income of the family from all sources should not exceed Rs. 60,000/- per annum", the words and figures **"the income criteria of the applicant is raised from Rs. 60,000/- to Rs. 1,00,000/- per annum from all sources for availing the benefits of the scheme"** shall be substituted.

Note:-

The principal rule was published vide notification no. F.1(4)/FAS/WDM/DSW/05-06/25008-18 dated 21.09.2006 in the Delhi Gazette (Extraordinary) and subsequently amended as :-

1. F.41(8)/FAS/DSW/Enhancement/07-08/324-334 dated 6th May, 2008.
2. F.1(4)/FAS/WDM/2005-06/28175-185 dated 28th Oct, 2009.
3. F.1(4)/FAS/WDM/WCD/2005-06/7951-961 dated 30th June, 2011.
4. F.1(4)/FAS/WDM/WCD/2005-06/26278-287 dated 4th Dec, 2012.

DR. RASHMI SINGH, Director